

# THE JHARKHAND GAZETTE

## EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 354

6 Baishakh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

#### **COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

Notification

25th April, 2019

Notification No. 10/2019 – State Tax

**S.O. No. 37 Dated 26<sup>th</sup> April, 2019 --** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the "said Act"), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby specifies the following category of persons, as the category of persons exempt from obtaining registration under the said Act, namely,-

Any person, who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed forty lakh rupees, except, -

- (a) persons required to take compulsory registration under section 24 of the said Act;
- (b) persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column
- (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table;
- (c) persons engaged in making intra-State supplies in the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttarakhand; and
- (d) persons exercising option under the provisions of sub-section (3) of section 25, or such registered persons who intend to continue with their registration under the said Act.

#### **Table**

Sl.	Tariffitem, sub-	Description
No.	heading, heading or	
	Chapter	
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2. This notification shall be deemed to be effective from 1<sup>st</sup> April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand

**Prashant Kumar,** Secretary-cum-Commissioner

-----

#### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 25 अप्रैल, 2019

### अधिसूचना संo. 10/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 37 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- (अ.)- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतिश्मन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को, उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथा:-

ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्ति में लगा हो और जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,-

- (क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 की अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी हो;
- (ख) जो कि ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों;
- (ग) जो कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंतःराज्यीय आपूर्ति में संलग्न हों; और
- (घ) धारा 25 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं।

#### सारणी

क्र.	टैरिफ मद, उप शीर्षक,	विवरण
सं.	शीर्षक या अध्याय	
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें
		कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों
		के विकल्प हों ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/01/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त ।

\_\_\_\_\_